



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 176

दर्ज तिथि:-12.08.2021

1. हरचन्द्रराम पुत्र कानाराम
2. गजरो पत्नी कानाराम
जाति मेगवाल निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. ठाकराराम पुत्र कानाराम
2. कोहलाराम पुत्र कानाराम
जाति मेगवाल निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुडामालानी हाल नोखड़ा।

.....असल प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बाबूलाल विश्णोई

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

निर्णय:-

निर्णय तिथि:-19.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 40/1/14.6658 है0, 40/3/8.7898 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी



के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 04.07.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/342 दिनांक 02.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/342 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

| प्रक्रिया हेतु प्रावधान | अपनायी गई प्रक्रिया |
|--|---|
| <p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p> | <p>प्रकरण में दिनांक 19.02.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> |
| <p>प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> | <p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 851-854 दिनांक 10.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 851-854 दिनांक 10.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 19.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> |

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 40/1/14.6658 है0, 40/3/8.7898 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त

खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जा:— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलन:— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षति:— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 40/1/14.6658 है0, 40/3/8.7898 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

| खातेदार | ग्राम | खसरा | रकबा | किस्म |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| हरचंद्रराम पुत्र कानाराम हि० पूर्ण कौम मेघवाल सा० देह खातेदार | मंगले की बेरी | 40 / 1 40 / 3 | 4.8886 2.9300 | बा०सो० बा०सो० |
| कुल किता 02 रकबा 7.8186 है० | | | | |
| कोहलाराम पुत्र कानाराम हि० पूर्ण कौम मेघवाल सा० देह खातेदार | मंगले की बेरी | 40 / 1 40 / 3 | 4.8886 2.9299 | बा०सो० बा०सो० |
| कुल किता 02 रकबा 7.8185 है० | | | | |
| ठाकराराम पुत्र कानाराम हि० पूर्ण कौम मेघवाल सा० देह खातेदार रहन-एसबीआई शाखा गुड़ामालानी | मंगले की बेरी | 40 / 1 40 / 3 | 4.8886 2.9299 | बा०सो० बा०सो० |
| कुल किता 02 रकबा 7.8185 है० | | | | |
| नोट:-वादीनी संख्या 02 द्वारा अपना हिस्सा वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में हकत्याग करने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम नहीं है। | | | | |

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2021 / 176

दर्ज तिथि:-12.08.2021

1. हरचन्द्रराम पुत्र कानाराम
2. गजरो पत्नी कानाराम
जाति मेगवाल निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. ठाकराराम पुत्र कानाराम
2. कोहलाराम पुत्र कानाराम
जाति मेगवाल निवासी मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार गुडामालानी हाल नोखड़ा।

.....असल प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बाबूलाल विश्णोई

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 40/1/14.6658 है0, 40/3/8.7898 है0 मौजा मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

| खातेदार | ग्राम | खसरा | रकबा | किस्म |
|---|------------------|--------------|------------------|------------------|
| हरचन्द्रराम पुत्र कानाराम हि0 पूर्ण कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार | मंगले की बेरी | 40/1 40/3 | 4.8886 2.9300 | बा0सो0 बा0सो0 |
| कुल किता 02 रकबा 7.8186 है0 | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| कोहलाराम पुत्र कानाराम हि० पूर्ण कौम मेघवाल सा० देह खातेदार | मंगले की बेरी | 40 / 1 40 / 3 | 4.8886 2.9299 | बा०सो० बा०सो० |
| कुल किता 02 रकबा 7.8185 है० | | | | |
| ठाकराराम पुत्र कानाराम हि० पूर्ण कौम मेघवाल सा० देह खातेदार रहन-एसबीआई शाखा गुड़ामालानी | मंगले की बेरी | 40 / 1 40 / 3 | 4.8886 2.9299 | बा०सो० बा०सो० |
| कुल किता 02 रकबा 7.8185 है० | | | | |
| नोट:-वादीनी संख्या 02 द्वारा अपना हिस्सा वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में हकत्याग करने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम नहीं है। | | | | |

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर

